

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(5)गृह-1/2019

जयपुर, दिनांक : 30.06.2019

-: आज्ञा :-

राजस्थान राज्य एवम् अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2016 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 25 व 30 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं। यह संगत तिथि हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आधारभूत पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण) के लिये रिपोर्ट करने की तिथि दिनांक 03.07.2019, प्रातः 11.30 बजे अथवा पूर्व में आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी:-

क्रम संख्या	मेरिट नंबर	रोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम (सुश्री/सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	वर्ग
1.	12	209921	MRITUNJAY MISHRA	29.05.1986	GE
2.	23	211700	MANISH SHARMA	19.10.1988	GE
3.	24	206634	SUSHIL MAN	11.10.1990	GE
4.	27	204516	ARUN KUMAR	02.02.1991	GE
5.	33	203584	ARVIND KUMAR	11.12.1989	GE
6.	35	216338	JITENDRA SINGH RATHORE	13.03.1992	GE
7.	39	212529	RUDRA PRAKASH	19.06.1986	GE
8.	41	208761	YOGESH SHARMA	10.01.1989	GE
9.	43	208308	MILISH DUTT SHARMA	13.06.1989	GE
10.	45	219704	SUDARSHAN PALIWAL	24.04.1992	GE
11.	49	209434	DEEPAK KUMAR GARG	10.07.1983	GE
12.	56	215282	JETHU SINGH	02.03.1982	GE, RG
13.	57	215537	BHAWANI SINGH INDA	02.07.1987	GE
14.	59	218215	HARSHIT SHARMA	04.07.1992	GE
15.	61	216713	ROOP SINGH INDA	15.08.1990	GE
16.	63	215985	SAJJAN SINGH	28.06.1984	GE, RG
17.	66	207050	ADITYA POONIA	12.10.1992	GE
18.	68	219949	RAJESH SINWAR	05.09.1986	BC
19.	69	203340	VIKASH DHINDHWAL	01.02.1992	BC
20.	70	204332	RAJENDRA KUMAR BURDAK	17.12.1980	BC, RG
21.	72	210551	SUNITA	23.01.1987	GE, WE
22.	73	204081	RAJENDRA KUMAR	20.02.1991	BC, RG
23.	74	215160	ANIL SARAN	05.06.1991	BC, RG
24.	75	216174	RITESH KUMAR	14.12.1991	BC, RG
25.	76	206107	GARIMA JINDAL	19.03.1993	GE, WE
26.	78	200203	ANSHU JAIN	11.02.1985	GE, WE




जारी 2 पर

27.	82	208999	YOGESH CHOUDHARY	19.08.1992	BC
28.	86	206046	NARAYAN KUMAR BAJIYA	15.10.1992	BC
29.	89	208213	ASHISH KUMAR PRAJAPAT	12.10.1986	BC
30.	92	216621	PREM KUMAR	15.08.1992	BC
31.	93	200699	MONIKA YADAV	18.08.1993	GE,WE
32.	99	211632	MUKESH CHOUDHARY	13.01.1993	BC
33.	104	204080	KARAN SINGH	16.02.1992	BC
34.	105	200377	SHALINI BAJAJ	07.05.1992	GE,WE
35.	106	203011	PRATEEK MEEL	08.08.1992	BC
36.	107	216510	OM PRAKASH SARAWAG	10.10.1992	BC
37.	109	207363	NOPA RAM BHAKAR	19.06.1984	BC,RG
38.	111	212264	NAGENDRA KUMAR	10.08.1990	BC
39.	113	204572	KAILASH KANWAR RATHORE	27.06.1992	GE,WE
40.	128	209402	CHHAVI SHARMA	03.11.1985	GE,WE
41.	133	216572	RATNA RAM DEWASI	28.12.1990	MB
42.	150	211742	PRIYANKA VAISHNAV	01.08.1991	BC,WE, RG
43.	170	204406	NATISHA JAKHAR	05.07.1995	BC,WE
44.	175	219845	MANGLESH CHUNDAWAT	26.03.1985	GE,WE, RG,NG
45.	199	218199	POOJA NAGAR	04.03.1991	BC,WE
46.	236	215646	PIYUSH KAVIYA	20.09.1987	GE,RG, NG
47.	261	203108	VINOD KUMAR LEGHA	15.11.1979	BC,RG, NG
48.	262	211784	RAJESH KUMAR KASANA	02.07.1985	MB,NG
49.	320	211762	GIRRAJ PRASAD MEENA	03.06.1989	ST
50.	336	211504	TAPENDRA MEENA	26.06.1988	ST
51.	386	218374	SHANKAR LAL MEENA	10.03.1980	ST,RG
52.	406	210023	SANTOSH KUMAR MEENA	11.07.1990	ST
53.	417	211585	MUNESH KUMAR	05.07.1985	ST,RG
54.	419	208998	UDAY SINGH MEENA	10.07.1987	ST
55.	704	210031	ANITA MEENA	30.06.1990	ST,WE, RG
56.	707	212224	MEENA MEENA	04.07.1992	ST,WE, RG
57.	773	207651	ROHIT SANKHALA	26.10.1989	SC
58.	794	203550	RAMKARAN SINGH MALINDA	05.08.1985	SC,RG
59.	797	212804	MANISH BADGUJAR	18.08.1987	SC
60.	817	219967	JARNAIL SINGH	30.12.1981	SC,RG
61.	822	210483	JAI PRAKASH ATAL	14.07.1985	SC,RG, NG
62.	862	211940	SANDEEP OSWAL	15.11.1988	SC
63.	880	210767	HANSRAJ BAIRWA	05.07.1986	SC
64.	948	207925	POONAM BHARGARH	01.11.1993	MB,WE
65.	1109	218286	KALPANA VERMA	09.09.1991	SC,WE

66.	1304	207811	INDU LODI	07.12.1984	SC,WE
67.	1308	206444	POONAM	05.03.1989	SC,WE
68.	1518	203967	LAXMI SUTHAR	15.02.1994	BC,WE, WD
69.	1569	210129	SHIPRA RAJAWAT	17.07.1986	GE,WE, WD
70.	1587	207328	ANNU BISHNOI	18.07.1984	BC,WE, WD


(GE : General, BC : Backward class, WE : Woman, RG : Rajasthan Govt, NG : Non Gazetted, SC : Scheduled Caste, ST : Scheduled Tribe, MB : Most Backward, WD : Widow)

- उक्त नियुक्तियाँ एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 18767/2018 नवीन तिलोटिया बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.08.2018, डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 4455/2018 ज्योति चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018, माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. (सी) संख्या-3595/17 शिवराम सिंह चौधरी बनाम राज्य व अन्य के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 03.08.2017, माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका संख्या 11200/2010 कन्हैयालाल बनाम आयोग एवं 6744/2008 आयोग बनाम निःशक्तजन आयोग (मयंक मोदी प्रकरण), एस. बी.सिविल रिट पिटिशन सं. 12879/2018 प्रवीण कुमार चौधरी व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 27.08.2018, उच्चतम न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका 21910/2018 (गरिमा शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार), विशेष अनुमति याचिका संख्या 22134/2018 (मानसी तिवारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) एवं विशेष अनुमति याचिका 6084-6093/2016 (हनुमान जाट एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) तथा इस परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगी।
- जिन अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी नियुक्तियाँ सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रविजनल रहेगी।
- उक्त नियुक्तियाँ समस्त मूल दस्तावेजों की जाँच के अध्यक्षीन रहेगी।
- इन परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
- गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
- उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान पुलिस सेवा नियमों के नियम 30 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई हैं।
- उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यक्षीन हैं।
- इन अभ्यर्थियों को परीवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परीवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
- सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।
- राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
- जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से दिनांक 03.07.2019 को प्रातः 11:00 बजे (कमरा नं. 1112, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में) उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।

 जारी 4 पर


14. अभ्यर्थियों को दिनांक 03.07.2019 को प्रातः 11:30 बजे तक अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में उपस्थित हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा तय प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा दिनांक 03.07.2019 अपरान्ह से उपलब्ध होगी।
15. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।
16. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
17. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।
18. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, जीवित संतान/संतानों की सूचना एवं धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी संतानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
19. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव
0141-2227294


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय (गृह) राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0 जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिवगण।
6. निदेशक, हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव, प्रशिक्षण, जयपुर को ई कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 11 में उल्लेखित "बन्ध पत्र", संख्या 17 में अंकित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में "Self declaration" अथवा शपथ पत्र तथा बिन्दु संख्या 18 अनुसार, जो अभ्यर्थी विवाहित हों उनके विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
7. महानिदेशक पुलिस, राज0 जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
11. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु
14. संबंधित अधिकारी (क्र. सं. 01से 70 तक)।
15. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग - उक्त नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।


संयुक्त शासन सचिव

:- वचनबंध प्रपत्र -:

में

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री

निवासी

वचनबद्ध हूँ कि मैं

धूम्रपान एवं गुटखे का सेवन नहीं करता हूँ/करती हूँ।

स्थान जयपुर

दिनांक 10/7/2019.

हस्ताक्षर
वचनबद्धकर्ता

:- शपथ पत्र -:

मैं

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री

निवासी

शपथपूर्वक घोषणा

करता हूँ/करती हूँ कि मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है एवं न ही मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लम्बित है।

शपथग्रहिता

:- सत्यापन -:

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है, इसमें मैंने कोई तथ्य छिपाया नहीं है, यदि उक्त तथ्य/सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

स्थान जयपुर

दिनांक 10/7/2019.

शपथग्रहिता

:- घोषणा पत्र :-

मैं

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री

निवासी

शपथपूर्वक घोषणा करता

हूँ/करती हूँ कि मेरा चयन राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2013 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग में हुआ है। मैं निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि -

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या.....थी। विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

2. दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या..... है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

3. यह कि उक्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं अभिलेख के आधार पर सही है एवं इनके सत्य होने की घोषणा करता हूँ/करती हूँ।

स्थान जयपुर
दिनांक 10/7/2019.

घोषणाकर्ता